




भारत सरकार Government
of India
रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)



No.2024/ACII/2/5

RBA No. 12/2024
New Delhi, dated: 09-04-2024

The General Managers,
All Indian Railways & PUs etc.

Sub: Introduction of New Primary Unit for accountal of Capital expenditure on Audit.

Ref: 1.Railway Board's letter no. 2023/F(X)-I/33/Misc/4 dated 06.04.2023.

2. Ministry of Finance's OM No. 11011(12)/13/2022-Codes-CGA/cno 11900/392 dated 03.01.2023.

Board vide letter referred at (1) above has desired that the expenditure on items of office equipment and Furniture & Fixtures, ICT equipments exceeding the threshold limit/useful life should be classified as Capital expenditure. In order to facilitate separate budgeting and accountal of such expenditure, it has been decided to introduce a New Primary Unit namely "Capital Expenditure-Audit Department" in Classification of Capital and Other Works Expenditure (Appendix-II) of Railway Finance Code Vol. II (Second Reprint Edition 2022), as per Advanced Correction Slip (ACS) no. 07 enclosed herewith.

Contents of the correction slip may please be circulated suitably for information and compliance.

Please acknowledge receipt.

(Vipul Tripathi)
Director Accounts
Railway Board

No.2024/ACII/2/5

New Delhi, dated:09-04-2024

Copy to:

- Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.
- PFAs, Indian Railways.
- FA & CAO(C)s, Indian Railways
- OSD/MR, OSD/Co-ord/MR, DG/RPF.

Advance Correction Slip No. 07

**Indian Railway Financial Code Volume-II (Second Reprint Edition 2022)
Classification of Capital and Other Works Expenditure (Appendix-II)**

Please introduce the following new Primary Unit in Classification of Capital and Other Works Expenditure (Appendix-II) of Railway Finance Code Vol. II (Second Reprint Edition 2022):

PU No. 55- Capital Expenditure- Audit Department

(Authority: Board's letter no. 2024/ACII/2/5 dated 09.04.2024)

This will take effect from FY 2024-25.



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD



सं.2024/एसी-11/2/5

आरबीए सं.12/2024
नई दिल्ली, दिनांक 09/04/2024

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।


विषय: लेखापरीक्षा पर पूंजी व्यय के लेखे-जोखे के लिए नई प्राथमिक इकाई खोलना।

- संदर्भ : 1. रेलवे बोर्ड का दिनांक 06.04.2023 का पत्र सं. 2023/एफ(एक्स)-
1/33/मिस./4.
2. वित्त मंत्रालय का दिनांक 03.01.2023 का कार्यालय ज्ञापन
सं.11011(12)/13/2022-कोड्स-सीजीए/सीएनओ 11900/392.

बोर्ड द्वारा, उक्त संदर्भित पत्र (1) के तहत वांछा की गई है कि अत्यधिक समय-सीमा/उपयोग वाले कार्यालयी साज़-समान और फर्नीचर एवं जुड़नारों, आईसीटी उपकरणों जैसी मदों पर व्यय को पूंजी व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। ऐसे व्यय के लिए पृथक बजट-व्यवस्था और लेखाजोखा रखने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द II (द्वितीय पुनर्मुद्रण संस्करण 2022) के पूंजी और अन्य निर्माण कार्य व्यय का वर्गीकरण के अंतर्गत इसके साथ संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 07 के अनुसार "पूंजी व्यय-लेखापरीक्षा विभाग" के नाम से एक नई प्राथमिक इकाई खोली जानी है।

शुद्धि पर्ची की विषय-वस्तु को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु यथोचित रूप से परिपत्रित किया जाए।

कृपया पावती दें।


(विपुल त्रिपाठी)
निदेशक लेखा
रेलवे बोर्ड

सं.2024/एसी।।/2/5

नई दिल्ली, दिनांक: 09/04/2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, भारतीय रेलें।
3. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी(निर्माण), भारतीय रेलें।
4. विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/समन्वय/रेल मंत्री, महानिदेशक/रे.सु.बल।

अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या-07

**भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द II (द्वितीय पुनर्मुद्रण संस्करण 2022)
पूंजी और अन्य निर्माण कार्य व्यय का वर्गीकरण (परिशिष्ट-II)**

कृपया भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-II(द्वितीय पुनर्मुद्रण संस्करण 2022) के पूंजी और अन्य निर्माण कार्य व्यय का वर्गीकरण (परिशिष्ट-II) में निम्नलिखित नई प्राथमिक इकाई खोलें :

प्राथमिक इकाई (पीयू) संख्या 55 - पूंजी व्यय - लेखापरीक्षा विभाग।

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक - 09.04.2024 का पत्र संख्या 2024/एसीII/2/5)

यह वित्त वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगा।